



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1943 (श०)

संख्या -20 राँची, शुक्रवार,

28 जनवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 जनवरी, 2022

विषय: राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक-14.07.2016 (संकल्प सं०-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 के आहरण के संबंध में ।

संख्या-14/स्थानीयता नीति-14-01/2015 का.-229--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 द्वारा निम्नवत् प्रावधान किया गया:-

“इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के 13 जिलों यथा-साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ के मात्र स्थानीय निवासी ही, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की कालावधि के लिए संबंधी जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।”

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प सं०-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं संकल्प सं०-3854, दिनांक-01.06.2018 में संशोधन करते हुए निम्नवत् प्रावधान किया गया:-

“राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं संकल्प सं०-3854, दिनांक-01.06.2018 में जहाँ कहीं भी “वर्ग 3 एवं वर्ग 4” अथवा “तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी” शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे “समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग’ एवं ‘समूह घ’ ” से प्रतिस्थापित किया जाय।”

3. WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूपवादों में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जिलों में संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी के नियोजन से संबंधित कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं०-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 को निरस्त करने का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से किया गया। उक्त मामलों में दिनांक-21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया गया:-

“57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed.”

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि:-

- (क) राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ‘ख’ अराजपत्रित, समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक-14.07.2016 (संकल्प सं०-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 को तत्काल प्रभाव से आहरित किया जाता है।

- (ख) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक-14.07.2016 (संकल्प सं०-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 से आच्छादित हैं तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से (ab-initio) विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
